

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1508 /11-सी-FP/UP/Others/40442/2019, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 28, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषय:- जनपद-जालौन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 (उरई-ऐट मार्ग) के किमी० 250.00 से किमी० 178.00 एवं एम०डी०आर० संख्या-27बी (कोंच-नदीगॉव मार्ग) के किमी० 0.00 से किमी० 21.00 तक कुल लम्बाई 93.00 किमी० एवं 0.9802 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-1547/33-1, दिनांक 23.12.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. प्रस्ताव में संलग्न किये गये इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु सीडी में KML file अपलोड नहीं की गयी है।
3. भूमि स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एम०डी०आर० 27बी के किमी० 0.00 से किमी० 21.00 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 मार्ग के किमी० 225.713 से 178.00 तक की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।
4. हार्डकापी भाग-2 में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि 20 किमी० में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जा चुका है। अतः हार्डकापी भाग-2 में तदनुसार संशोधित कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
5. प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में अपलोड किया गया प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित सभी डाटा एवं के०एम०एल० फाइल आदि डिलिट करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1508 /11-सी-FP/UP/Others/40442/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन वन प्रभाग, उरई।
2. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, रोहतास के टेरिडेंट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।


(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।